

3338



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttarakhand

VERIFIED
LOCKED

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK00128973859971L
Certificate Issued Date : 26-Apr-2013 03:21 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/ ukshcil01/ HARIDWAR
Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUKSHCIL0100149212716791L
Purchased by : SATISH ARORA AND SMT PRAVEEN ARORA
Description of Document : Article 23 Conveyance
Property Description : HARILOK AWASIYA YOJNA JAWALAPUR HARIDWAR
Consideration Price (Rs.) : 73,82,000
(Seventy Three Lakh Eighty Two Thousand only)
First Party : GAGAN SETHI AND ALKA SAHANI
Second Party : SATISH ARORA AND SMT PRAVEEN ARORA
Stamp Duty Paid By : SATISH ARORA AND SMT PRAVEEN ARORA
Stamp Duty Amount(Rs.) : 3,44,100
(Three Lakh Forty Four Thousand One Hundred only)



Please write or type below this line

विक्रय पत्र व्यवसायिक

1. मालियत विक्रय पत्र : रू0 7382000 / -
2. बाजारी मूल्य जिस पर : रू0 7382000 / -
स्टाम्प दिया गया

ZK 0000606154

PAN No.
ADWPS 5713M



Tahsil Compound Haridwar

PAN No.
AYOPS 9832 L



-2- PAN No.
AAOPA 0733 G



PAN No.
ACOPA 0862 E



3. स्टाम्प शुल्क

: रू0 344100/- 1/2 भाग में
क्रेता महिला होने के कारण
2000000/- रू0 तक शासनादेश सं0
74/XXXVII (9)/स्टाम्प/2008
दिनांक 25-04-08 के अनुसार विक्रय
पत्र में स्टाम्प शुल्क अदा किया गया
है।

4. कुल स्टाम्प शुल्क देय

: रू0 344100/-

5. मुख्य क्षेत्र

: हरिलोक आवासीय योजना
ज्वालापुर परगना ज्वालापुर तहसील
व जिला हरिद्वार।

6. क्षेत्र

: नगरीय क्षेत्र है।

7. सम्पत्ति व उसका प्रकार

: एक व्यवसायिक भू-खण्ड सं0
सी-1 जिसका कुल क्षेत्रफल 742.
65 वर्गमीटर है।

8. मुख्य मार्ग से दूरी

: पुल जटवाड़ा से आगे रूड़की रोड़
पर स्थित है।

9. सर्किल रेट क्रम सं0 सहित

: सर्किल दर सर्किल रेट के पृष्ठ
13 के क्रमांक 8 के अनुसार
9940/- रुपये प्रति वर्गमीटर।




10. उक्त भूमि में कोई निर्माण नहीं है उक्त भूमि औद्योगिक क्षेत्र व नोटीफाईड
एरिया में नहीं है।

11. क्रेता विक्रेता अनुसूचित जाति व जनजाति से नहीं है।

12. क्रेता स्वयं व क्रेता का पति उत्तरांचल का 2003 से पूर्व अचल सम्पत्ति
का स्वामी है।

हम कि श्री गगन सेठी पुत्र श्री सीताराम निवासी डी-18 रेसकोर्स जिला देहरादून व श्रीमती अलका साहनी पत्नी श्री रमेश साहनी निवासी 105 निरंजनपुर जिला देहरादून के हैं। (विक्रेता)

विदित हो कि एक व्यवसायिक भू-खण्ड सं० सी-1 जिसकी पैमाइश पूरब 14.30मीटर पश्चिम 17.28मीटर उत्तर 40.80मीटर दक्षिण 45.14मीटर और कुल क्षेत्रफल 742.65वर्गमीटर सात सौ बयालीस दशमलव छः पाँच वर्गमीटर है। जो स्थित हरिलोक आवासीय योजना ज्वालापुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार है। जिसके पूरब में दुकान एच.डी.ए. पश्चिम में सम्पत्ति अन्य व्यक्ति उत्तर में सड़क 12.00मीटर चौड़ी दक्षिण में सम्पत्ति अन्य व्यक्ति है। जिसके विक्रेता स्वामी अधिकारी है। जो विक्रेतागण ने द्वारा विक्रय पत्र दिनांकीत 26-12-2005 जिसकी रजिस्ट्री बही नं० 1 जिल्द 1190/1687 के पृष्ठ 275/433/440 में नं० 11322/11323 पर दिनांक 26-12-2005 को उप निबन्धक कार्यालय हरिद्वार हुई थी हरिद्वार विकास प्राधीकरण से खरीद किया था। उक्त प्लॉट आज तक हर प्रकार के ऋण परिवर्तन आदि के भार से शुद्ध एवं मुक्त है कहीं पर आड़ रहन या बन्धक नहीं है। और उक्त प्लॉट को बन्धक करके कोई ऋण आदि किसी महकमे बैंक कम्पनी सोसायटी आदि से लिया हुआ नहीं है। हम विक्रेता उक्त प्लॉट को विक्रय करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। अब अपनी स्वस्थ इन्द्रियों तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में अपनी इच्छा व प्रसन्नता से मय हर प्रकार के स्वत्व व अधिकारों के बदले मुब० 7382000/- तिहत्तर लाख बयासी हजार रुपये में हाथ श्री सतीश अरोड़ा पुत्र श्री देशराज अरोड़ा (1/2भाग) व श्रीमती प्रवीण अरोड़ा पत्नी श्री सतीश अरोड़ा (1/2भाग) निवासीगण 3-ए जगदीश नगर कालोनी ज्वालापुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार (क्रेता) के हक में विक्रय व हस्तान्तरित कर दिया है और कुल मूल्यराशि निम्न प्रकार प्राप्त कर ली है कब्जा मौके पर उक्त प्लॉट पर क्रेता का करा दिया है वह उसमें अपने लाभ के लिये कोई भी कार्य करे निर्माण कार्य करे नक्शा आदि पास कराये विक्रय आदि करे और लाभ उठाये। अब प्रतिज्ञा करते हैं और लिखे देते हैं कि आज से विक्रेता व उसके उत्तराधिकारियों का उक्त विक्रीत प्लॉट के साथ किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध या वास्ता नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा यदि भविष्य में विक्रेता के किसी स्वत्व या कानूनी त्रुटि के कारण या किसी के वाद विवाद के कारण उक्त विक्रीत प्लॉट या उसका कोई अंश कब्जा व दखल क्रेता के अधिकार से निकल जाये या उसे कोई भार चुकाना पड़े या कब्जा आदि में

 Ashu 

Ravi

Sale (Immovable)	प्रलेख सं 3338	बही 1	प्रतिफल रु0	मालियत रु0
Sale(Commercial Plot)			7382000.00	7382000.00
रजिस्ट्रेशन शुल्क	प्रतिलिपि शुल्क	इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग शुल्क	कुल योग	शब्द लगभग
20000.00	20.00	140.00	20160.00	1000

श्री सतीश अरोडा
पुत्र श्री देशराज अरोडा
पेशा अन्य

निवासी 3-ए, जगदीश नगर कालोनी ज्वालापुर हरिद्वार

ने आज दिनांक 26/04/2013 समय 5:24 pm
को कार्यालय उपनिबन्धक हरिद्वार, प्रथम
में प्रस्तुत किया।

उपनिबन्धक
हरिद्वार, प्रथम
26-Apr-2013



सतीश अरोडा

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख में लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री
गगन सेठी s/o सीताराम, डी-18, रेसकोर्स जिला देहरादून / अलका साहनी w/o रमेश साहनी, 105, निरंजनपुर जिला
देहरादून।



ने विक्रय धन मुबलिय रु0 7382000.00
इस लेखपत्र का निष्पादन क्रेता श्री
सतीश अरोडा s/o देशराज अरोडा, 3-ए, जगदीश नगर कालोनी ज्वालापुर हरिद्वार / प्रवीण अरोडा
w/o सतीश अरोडा, 3-ए, जगदीश नगर कालोनी ज्वालापुर हरिद्वार।





ने भी स्वीकार किया। जिनकी पहचान
श्री गगन बत्रा
पुत्र श्री टेकचंद बत्रा
निवासी 10, अवधूत मण्डल मार्केट, ज्वालापुर हरिद्वार
श्री संजय बहल
पुत्र श्री स्व0 बद्रीनाथ बहल
निवासी 62, विवेक विहार रानीपुर मोड हरिद्वार
ने की।

उपनिबन्धक
हरिद्वार, प्रथम
26-Apr-2013

कोई रुकावट उत्पन्न हो तो ऐसी हर एक अवस्था में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपनी कुल मूल्यराशि मय सूद वैधानिक विक्रेता की हर प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति व जात खास व जायदाद से जिस प्रकार चाहे द्वारा न्यायालय वसूल कर ले विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीयों को कोई आपत्ति नहीं होगी। हम विक्रेता प्रत्येक कानूनी जिम्मेदारियों के जिम्मेदार हैं जो कानूनन एक विक्रेता पर आयद होती है। उक्त प्लॉट से सम्बन्धित कोई वाद विवाद किसी भी न्यायालय मे विचाराधीन नहीं है। उक्त प्लॉट किसी धार्मिक संस्था व ट्रस्ट का नहीं है। विक्रेता व क्रेता के मध्यउक्त प्लॉट की बावत कोई रजिस्टर्ड इकरारनामा नहीं हुआ है। विवरण प्राप्ति मूल्यराशि- मुझ विक्रेता ने कुल मूल्यराशि मुब0 7382000/-रुपये तिहत्तर लाख बयासी हजार रुपये में से मुब0 750000/-रु0 द्वारा चैक नं0 155404 दिनांकीत 09-01-2013 व मुब0 750000/-रु0 द्वारा चैक नं0 155405 दिनांकीत 09-01-2013 व मुब0 1000000/-रु0 द्वारा चैक नं0 149569 व मुब0 1000000/-रु0 द्वारा चैक नं0 149567 व मुब0 941000/-रु0 द्वारा चैक नं0 149568 व मुब0 1000000/-रु0 द्वारा चैक नं0 155440 व मुब0 1000000/-रु0 द्वारा चैक नं0 155438 व मुब0 941000/-रु0 द्वारा चैक नं0 155439 उक्त सभी चैक दिनांकीत 26-04-2013 उक्त सभी चैक एक्सीज बैंक हरिद्वार प्राप्त कर लिये हैं। पश्चात रजिस्ट्री के कुछ शेष नहीं रहेगा। उक्त भूमि शत्रु सम्पत्ति नहीं है। अन्तरक एवं अन्तरिती विदेशी नागरिक/भारतीय मूल का विदेशी नागरिक नहीं है। तथा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल, भूटान का नागरिक भी नहीं है।

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंटस।
विक्रेता के बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह (श्री गगन सेठी)






   

विक्रता के बाय
अंगुष्ठ

Book No. 1

Registration Year 2013

Registration No 3,338






गगन सेठी

अलका साहनी

सतीश अरोड़ा

प्रवीण अरोड़ा



गगन बाजा


संजय बहल




प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये हैं।

उप निबन्धक, हरिद्वार, प्रथम
26-April-2013

विक्रेता के बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह (श्रीमती अलका साहनी)
अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका



दायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह
अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका



क्रेता के बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह (श्री सतीश अरोड़ा)
अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका




दायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह
अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका



क्रेता के बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह (श्रीमती प्रवीण अरोड़ा)

अंगुष्ठ



तर्जनी




मध्यमा



अनामिका



कनिष्ठिका



दायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ



तर्जनी



मध्यमा



अनामिका



कनिष्ठिका



अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

तहरीर तारीख:-26-04-2013

ह0

[Handwritten signature] - *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* ह0

सा0

(गजन ठाणा)

श्री. देवचन्द ठाणा

10, अवधूत भण्डल

मार्केट, हरिद्वार

सा0

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
टाइपकर्ता

[Handwritten signature]
द्राष्टिदेवाई
PAHAL SINGH


Advocate

Fahsil Compound Haridwa


बही नम्बर 1 जिल्द 2621 पृष्ठ 97 से 110

में नम्बर 3338 पर आज दिनांक 26-April-2013
में रजिस्ट्री की गयी ।

उप निबन्धक
हरिद्वार, प्रथम
26-April-2013



PROPOSED SITE PLAN FOR HARILOK
HOUSING SCHEME PLOT C-1 (SHOPING-1) AT
DELHI HARDWAR ROAD, JWALAPUR
, HARDWAR




AREA OF TRIANGLE (A) = Square root of
 $22.50 \times (22.50 - 12.80) \times (22.50 - 17.90) \times (22.50 - 14.30)$
= Square root of
 $22.50 \times 9.70 \times 4.60 \times 8.20$
= 90.73 Sq.m.

AREA OF TRIANGLE (B) = Square root of
 $47.05 \times (47.05 - 17.90) \times (47.05 - 35.40) \times (47.05 - 40.80)$
= Square root of
 $47.05 \times 29.15 \times 11.65 \times 6.25$
= 316.01 Sq.m.

AREA OF TRIANGLE (C) = Square root of
 $43.77 \times (43.77 - 19.80) \times (43.77 - 35.40) \times (43.77 - 32.34)$
= Square root of
 $43.77 \times 23.97 \times 8.37 \times 11.43$
= 316.82 Sq.m.

AREA OF TRIANGLE (D) = Square root of
 $20.17 \times (20.17 - 19.80) \times (20.17 - 17.28) \times (20.17 - 3.27)$
= Square root of
 $20.17 \times 0.37 \times 2.89 \times 16.90$
= 19.09 Sq.m.
= $90.73 + 316.01 + 316.82 + 19.09$
= 742.65 SQ.M.

— PROPOSED PLOT



TO HARDWAR

TO ROORKEE

D/MAN
H.D.A.

H.D.A.

H.D.A.

समय प्रति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार


बही नम्बर 1 जिल्द 2621 पृष्ठ 97 से 110

में नम्बर 3338 पर आज दिनांक 26-April-2013
में रजिस्ट्री की गयी ।




उप निबन्धक
हरिद्वार, प्रथम
26-April-2013

HOUSING SCHEME FOR C-1300
DELHI HARDWAR ROAD, JWALAPUR
HARDWAR



HARILOK COLONY ROAD 12.0 MWD.



AREA OF TRIANGLE (A) = Square root of
 $22.50 \times (22.50 - 12.80) \times (22.50 - 17.80) \times (22.50 - 14.30)$
 = Square root of:
 $22.50 \times 9.70 \times 4.60 \times 8.20$
 = 90.73 Sq.m.

AREA OF TRIANGLE (B) = Square root of
 $47.05 \times (47.05 - 17.90) \times (47.05 - 35.40) \times (47.05 - 40.80)$
 = Square root of
 $47.05 \times 29.15 \times 11.65 \times 6.25$
 = 316.01 Sq.m.

AREA OF TRIANGLE (C) = Square root of
 $43.77 \times (43.77 - 19.80) \times (43.77 - 35.40) \times (43.77 - 32.34)$
 = Square root of
 $43.77 \times 23.97 \times 8.37 \times 11.43$
 = 316.82 Sq.m.

AREA OF TRIANGLE (D) = Square root of
 $20.17 \times (20.17 - 19.80) \times (20.17 - 17.28) \times (20.17 - 3.27)$
 = Square root of
 $20.17 \times 0.37 \times 2.89 \times 16.90$
 = 19.09 Sq.m.

TOTAL AREA = $90.73 + 316.01 + 316.82 + 19.09$
 = 742.65 SQ.M.






उत्तरांचल UTTARANCHAL

001365

विक्रय विलेख

यह विलेख सन् 2005 के माह दिसम्बर... में दिवस ...२६..... को
हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार जो कि राष्ट्रपति अधिनियम पुनः
अधिनियमित 30प्र0 संख्या के अधीन गठित एक निगमित निकाय है के
सम्पत्ति अधिकारी, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के माध्यम से जिसे


सम्पत्ति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार



Advocate
Tehsil Hardwar

507097116

श्री दीपक कुमार लम्पतिविलिख
निवासी ६६६६ दिनांक ५/११/७९ ए.डी.
प्र कार्यालय एवं रजिस्टार एडिटर में आज दिनांक

दिन के प्रारंभ में सवेरा ७:०० बजे
जिल्द ४ के पृष्ठ २३ में पृष्ठ १६-१७/१८ पर का पत्र लिखा
है। (सं. १००)

एकलिंगी प्रजाति

सं सं

5225/1246

पं. श्री सीताराम लोधी के 18-18 दोस्तों के (देहादल व धर्म)
मालका लोधी म. श्री रमेश लोधी के 10 मित्रों के (देहादल
ने) (सीमा विभा 5 हजार 5 सौ) (म. श्री 5/रामचन्द्र के)
मि. श्री राम लोधी के 5 मित्रों के (देहादल व धर्म) लोधी म. श्री 5/रामचन्द्र के
मि. श्री 5/राम लोधी के 5 मित्रों के (देहादल व धर्म) लोधी म. श्री 5/रामचन्द्र के

Topic

Liegen Schi

Asahi

26/12/05


साक्षी बने हुए हैं अंगुष्ठ
जिन्हें हर जाक्षर निग्रमानुसार
लिये गये।

सं०६०



उत्तरांचल UTTARANCHAL

001366



कि इस विलेख में आगे विक्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ जबकि उसके विपरीत भाव में प्रयुक्त ना किया गया हो विक्रेता शब्द से अभिप्रायः उसगके प्रशासकों विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जायेगा, प्रथम पक्ष व श्री गगन सेठी पुत्र श्री सीताराम निवासी डी-18 रेसकोर्स, देहरादून व श्रीमति अलका साहनी पति श्री रमेश साहनी

सम्पत्ति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Gagan Sethi *Ahlu*

नं० १०७
राज्य परिवहन विभाग
भुवनेश्वर
दिनांक १७/११/१८
राज्य परिवहन विभाग
नया कोयला हरिद्वार

[Signature]


साक्षी बले प्रतीत होते हैं भंगुल
चिह्न हस्ताक्षर नियमानुसार
लिये गये।
[Signature]
२२/११/१८







उत्तरांचल UTTARANCHAL


001367



निवासी 105 निरंजनपुर, देहरादून द्वितीय पक्ष जिसे आगे चलकर इस विलेख में क्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ जबतक कि उसके विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो, क्रेता से अभिप्राय वह स्वयं उसके वारिसों, उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों से एवं समुनदेशितों से


सम्पत्ति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार







उत्तरांचल UTTARANCHAL

001368

लिया जायेगा । चूंकि हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व प्रचलित नियमों के अनुसार भूखण्ड को 90 वर्ष की अवधि पर पट्टे पर दिया जाता था जिसके लिए 90 वर्ष का लीज रेंट प्रीमियम मूल्य पर आवंटि से लिया जाता था ।

शासनादेश संख्या 1639/9-आ-1-95-80 मिस/86 आवास अनुभाग-1

विश्वनाथ
सम्पत्ति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Harish Chh

Bahsi



उत्तरांचल UTTARANCHAL

001369

(5)

दिनांक 10/5/95 एवं 3585/9-आ-1-98-80 मिस-86 दिनांक 21 सितम्बर, 1995 द्वारा ये निर्देश दिये गये कि लीजरेन्ट जमा करने, नवीनीकरण कराने विक्रय हेतु अधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करने इत्यादि की समस्याओं से मुक्त करते हुए दिनांक 10/5/95 के पश्चात आवंटित भूखण्ड को सीधे कुल प्रीमियम मूल्य का 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क लेकर आवंटी को भूखण्ड

विक्रय
सम्पत्ति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Signature

Signature



उत्तरांचल UTTARANCHAL

001370

13 DEC 2005

(6) 405-1096 X
XXX

फ्री-होल्ड (मुक्त स्वामित्व के अधिकारों से युक्त) कर दिये जायें ।

अतः आवंटी को दिनांक 08/06/2005 को आवंटित भूखण्ड संख्या सी-1, (शॉपिंग सेन्टर-1), हरिलोक आवासीय योजना, ज्वालापुर, हरिद्वार जिसके एवज में कुल भूखण्ड मूल्य मुब0 45,27,653/- रुपये

सिद्धांत
सम्पत्ति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार


Hajen John

Ashmi



उत्तरांचल UTTARANCHAL

001371



तथा फ्री होल्ड शुल्क मुब0 रू0 543318/- कुल रूपये 50,70,971/-
भूखण्ड मूल्य रू0 45,27,653/- का भुगतान तीन माह में जमा करने
पर 1 प्रतिशत छूट रू0 45,277/- के उपरान्त कुल रू0 50,25,694/- प्राप्त
कर लिये हैं, जिसकी प्राप्ति इस विलेख के माध्यम से प्रथम पक्ष स्वीकार
करता है और यह विलेख निष्पादित किया जाता है, जिसमें प्रथम पक्ष के

विश्वनाथ
सम्पत्ति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Hagan Seh

Ashw



उत्तरांचल UTTARANCHAL

001372

(8)

पास उक्त अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित अधिकार सदैव आरक्षित रहेंगे एवं द्वितीय पक्ष द्वारा उपरोक्त नगर योजना एवं विकास अधिनियम के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए सुनियोजित योजना एवं विकास के अन्तर्गत द्वितीय पक्ष निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

1. यह कि इस विक्रय पत्र की सम्पत्ति जिस उद्देश्य के लिए आवंटित की

विकास
सम्पत्ति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार


Hagan Selhi

Ashu




उत्तरांचल UTTARANCHAL


001373




गयी है भविष्य में हमेशा वह उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग करेगा अन्यत्र प्रयोग या अन्यथा प्रयोग वर्जित होगा जिससे योजना के तलपट मानचित्रों के प्राविधानों का उल्लंघन ना हो सके ।

2. यह कि द्वितीय पक्ष हमेशा 30 प्र 0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के प्राविधानों का अनुपालन करेगा ।


सम्पत्ति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार









001374


उत्तरांचल UTTARANCHAL

(10)

3. यह कि द्वितीय पक्ष बाध्य होगा कि वह हरिद्वार विकास प्राधिकरण एवं नगरपालिका हरिद्वार की वर्तमान एवं भविष्य में प्रभावी सभी ऐसी उपविधियों नियमों का पालन करेगा जो यथावर सम्पत्ति के दखल के सम्बन्ध में प्रासंगिक हो अथवा उक्त स्थान के अन्य निवासियों की सुरक्षा पर प्रभाव डालते हों।


सम्पत्ति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार








उत्तरांचल UTTARANCHAL

001375



4. यह कि विक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में भविष्य में शासकीय विभाग अथवा अर्धशासकीय विभाग या विकास प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा किसी प्रकार का कर, परिव्यय या अन्य कोई देय उत्पन्न होता है तो उसका समस्त भुगतान करने का भार द्वितीय पक्ष पर होगा। प्रश्नगत भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में रिफरेन्स सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है

पिप्लू
सम्पत्ति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Lagon Selu

Ashu



उत्तरांचल UTTARANCHAL

001376

। न्यायालय द्वारा भूमि रिफरेंस के वादों में धनराशि बढ़ाई जाती है तो उस दशा में बढ़ाई गई धनराशि समानुपातिक दर से द्वितीय पक्ष से वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा तथा द्वितीय पक्ष के भूमि विक्रय करने की दशा में देय धनराशि क्रेता से वसूल की जायेगी ।

[Signature]
सम्पत्ति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

[Signature]

[Signature]





उत्तरांचल UTTARANCHAL


001377

(13)

5. यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की पूर्वलिखित अनुमति के बिना प्राधिकरण सक्षम द्वारा अनुमोदित रेखाचित्र द्वारा अनुमति शर्तों के प्रतिकूल उक्त भूखण्ड पर तद समय हुये निर्माण में ना तो कोई परिवर्तन करेगा या किये जाने के अनुमति देगा ।


सम्पत्ति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार







उत्तरांचल UTTARANCHAL

4. यह कि द्वितीय यह अधिनियम की शर्तों के तहत एक निश्चित अवधि
समय का अवधि न ही किसी भी अवधि अवधि, या अवधि अवधि अवधि
के अवधि अवधि, या ही किसी अवधि अवधि अवधि या किसी अवधि को
किसी अवधि की अवधि अवधि ।


विशेष
अधिनियम
उत्तरांचल
अधिनियम

अधिनियम

अधिनियम



उत्तरांचल UTTARANCHAL



7. यह कि द्वितीय पक्ष किसी भी दशा में सदस्यों/अधिकारियों अधीनस्थ कर्मचारियों को विक्रीत भूखण्ड तथा उस पर निर्माण किये जाने वाले भाग पर प्रवेश करने की अनुमति देगा, जिससे कि निरीक्षण तथा उपरोक्त वर्णित आवश्यक कार्य में कोई बाधा न पहुँचे ।

[Signature]
सम्पत्ति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार


[Signature]
Lagan Sethi

[Signature]
Aahri



उत्तरांचल UTTARANCHAL

001380



8. यह कि द्वितीय पक्षको किसी भी दशा में सम्पत्ति न तो खण्डित करेगा और न ही प्रथम पक्ष की पूर्व अनुमति के बिना खण्डित करके उसका उप विभाजन करेगा ।
9. यह कि द्वितीय पक्ष को विक्रीत भूखण्ड पर निबंधन/कब्जा जो भी पहले हो के दिनांक से 5 वर्ष के अन्दर भवन निर्माण कराना होगा और उसे

विष्णु
सम्पत्ति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Lagan Sela

Ahni





उत्तरांचल UTTARANCHAL


001381

13 DEC 2005
(17) 40045-21115 X
XXX

पूरा करना आवश्यक होगा । समय अवधि समाप्त होने के उपरान्त निर्माण करने पर द्वितीय पक्ष को सम्पत्ति के निबंधन मूल्य का 2 प्रतिशत वार्षिक की दर से प्रतिवर्ष का अधिभार प्रथम पक्ष को अदा करना होगा इसी शर्त पर द्वितीय पक्ष को अधिकतम 5 वर्ष का समय प्रदान


सम्पत्ति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार










उत्तरांचल UTTARANCHAL


001382

किया जा सकता है, और द्वितीय पक्ष द्वारा किसी प्रकार का निर्माण न करने की दशा में निष्पादित विक्रय विलेख को निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा । जिस दशा में द्वितीय पक्ष विक्रीत भवन का कब्जा प्रथम पक्ष को देने के लिए बाध्य होगा तथा प्रथम पक्ष का


सम्पत्ति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार









उत्तरांचल UTTARANCHAL


001383




यह अधिकार सदैव होगा कि वह विक्रीत सम्पत्ति की राशि को समस्त खर्चे एवं देय सहित द्वितीय पक्ष को सीधे अथवा भू-राजस्व के माध्यम से वसूल कर ले ।

10. यह कि प्रथम पक्ष को क्रेता या उनके माध्यम/अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा पूर्वोक्त शर्तों के उल्लंघन करने की दशा में


सम्पत्ति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार







सम्पत्ति का नया विक्रय विलेख स्वीकार करने का कारण कोई हानि वहन करनी पड़ती है तो ऐसी हानि की वसूली द्वितीय पक्ष से की जा सकेगी ।

11. यह कि भूखण्ड के अन्तिम मूल्य की गणना के पश्चात् सम्भावित मूल्य बढ़ने पर उसके अन्तर को द्वितीय पक्ष से वसूल किया जा सकता है,

विक्रय
सम्पत्ति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Gagan Sethi


Ahni





03BB 035086


(21)

और धनराशि वृद्धि के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष से कितनी धनराशि वसूल की जानी है का अधिकार उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण को होगा और द्वितीय पक्ष को चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा ।


सम्पत्ति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार








2064

12. यह कि विक्रीत भूखण्ड द्वितीय पक्ष के अधिकार में पूर्ण स्वामित्व के अधिकार सहित उसका भौतिक एवं यथार्थ कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है और जिसके प्रतिफल स्वरूप शासनादेश के अनुसार कुल भूखण्ड मूल्य मुब0 45,27,653/- रुपये तथा फी होल्ड शुल्क

विक्रीत
सम्पत्ति अधिकारी,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Lagan Seh

Asst



मुब0 रु0 543318/- कुल रुपये 50,70,971/- भूखण्ड मूल्य रु0 45,27,653/- का भुगतान तीन माह में जमा करने पर 1 प्रतिशत छूट रु0 45,277/- के उपरान्त कुल रु0 50,25,694/- प्राप्त कर लिये हैं, प्रथम पक्ष ने प्राप्त कर ली है जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष स्वीकार करता है ।

विक्रम
सम्पत्ति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

हार्दय

हार्दय




13 DEC 2005
* 2005-2006 *
XXX
(24)

अतएव प्रथम पक्ष विक्रेता तथा द्वितीय पक्ष क्रेता अपनी स्वस्थ इच्छा व स्वस्थ मस्तिष्क से उपरोक्त वर्णित नियमों/शासनादेशों के अधीन यह विक्रय पत्र तहरीर व तकमील कर निष्पादित करते हैं। यह आज दिनांक 26.12.05 को यह दोनों पक्ष इस विक्रय पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर साक्षियों की उपस्थिति में निष्पादित किया ताकि प्रमाण रहे।

विक्रेता
सम्पत्ति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Rajan Singh

Ahni



व्यवसायिक भूखण्ड संख्या : सी-1, (शॉपिंग सेन्टर-1), हरिलोक
आवासीय योजना, ज्वालापुर, हरिद्वार ।
क्षेत्रफल : 756.50 वर्ग मीटर
उत्तर : 40.60 मीटर
दक्षिण : 45.20 मीटर
उत्तर : सडक 12.00 मी० चौडी
दक्षिण : अन्य सम्पत्ति

विष्णु न
सम्पत्ति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Lagan Selhi

Bahui



उत्तरांचल UTTARANCHAL

054306

13 DEC 2005

(26)

पूर्व : 14.11 मीटर
पश्चिम : 16.28 मीटर

पूर्व : एच.डी.ए. दुकान
पश्चिम : अन्य सम्पत्ति

नोट :- श्री गगन सेठिया आयकर पैन नं० A.D.W.P.S 5713 M.

विष्णु
उपसचिव/सम्पत्ति अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
(प्रथम पक्ष)

Ragun Sethi आवंटी
Ragun Sethi (द्वितीय पक्ष)

साक्षी :-1

साक्षी :-2 Shriy Dubey

S/O Sh. Vasudev Dubey

R/O Krishan Nayar Kukul

Haridwar

